प्रेषक,

श्रीप्रकाश गुप्ता, विशेष सचिव, 30प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव, उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अन्भाग-4

लखनऊ दिनांक 08 जुलाई, 2024

विषयः- नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए केन्द्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6723/24 दिनांक 03.07.2024 तत्क्रम में शासनादेश संख्या-1/566876/2024, दिनांक-22.05.2024 एवं संख्या- 1/669747/2024 दिनांक 15.06.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

- 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारतीय उपचर्या परिषद के पत्र दिनांक 08.04.2024 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निर्संग डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश हेतु जारी की गयी समय सारणी में शैक्षणिक सत्र 01 अगस्त, 2024 से प्रारम्भ किया जाना निर्धारित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा निर्संग डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा दिनांक 28.07.2024 को निर्धारित की गयी है। उक्त प्रवेश परीक्षा कराये जाने के उपरान्त परीक्षाफल निर्गत करने एवं काउंसिलिंग सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण करने में समय लगेगा, जिसके फलस्वरूप भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 01 अगस्त, 2024 से प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो सकेगा तथा इससे छात्रों का शैक्षणिक सत्र विलम्बित होगा।
- 3- अतएव उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सन्दर्भित पत्र दिनांक 03.07.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर पुनर्विचार के उपरान्त वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं काउंसिलिंग की प्रक्रिया विगत शैक्षणिक सत्र 2023-24 की ही भांति यथावत रखते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में समयान्तर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रवेश प्रक्रिया शासनादेश संख्या-1/566876/2024, दिनांक-22.05.2024 द्वारा निर्धारित हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट की मेरिट के स्थान पर पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**अंग्रेजवर्ताश Shope** Prakash **अंग्रेज** सचिय। Date: 08-07-2024 20:31:35

## संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

- 2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
- 3. कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, ५०प्र० शासन।
- 5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से, (श्रीप्रकाश गुप्ता) विशेष सचिव।